

**कार्यालय भू प्रबन्ध आयुक्त राजस्थान, जयपुर**

क्रमांक/फा/भप्रआ/एसटीआई/प्रशिक्षण/8/20-21/ 226

दिनांक:- 13/1/21

**प्रशिक्षण कार्यशाला**

निर्देशानुसार डीआईएलआरएमपी के अन्तर्गत राज्य की अधिसूचित ऑनलाईन तहसीलों में नामान्तरकरण के आवेदन तथा ई-धरती सॉफ्टवेयर एवं भू- नक्शा सॉफ्टवेयर पर व्यवहारिक रूप से कार्य किए जाने में आ रही समस्याओं के निराकरण हेतु राजस्व मण्डल अजमेर के पत्र क्रमांक 367 दिनांक 13/01/2021 द्वारा क्रमशः दिनांक 18.01.2021 से 19.01.2021 दिनांक 21.01.2021 से 22.01.2021 तथा 28.01.2021 से 29.01.2021 को प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक दो-दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर स्थित कम्प्यूटरीकृत लेब में रखा जाना सुनिश्चित किया गया है। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना का ध्यान रखा जावे।

(उपेन्द्र कुमार शर्मा)

सहायक भूप्रबन्ध अधिकारी,  
मुख्यावास, राजस्थान जयपुर।

दिनांक- 13/01/2021

क्रमांक/फा/समसंख्यक/ 227-280

प्रतिनिधि- सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है-

- 1- निजी सचिव, श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 2- श्रीमान जिला कलेक्टर समस्त। (बारां, बीकानेर, दौसा, झुंझुनू, गंगानगर, हनुमागढ़, जालौर, झुंझुनू, प्रतापगढ़, सीकर, सीरोही) को छोड़कर निर्धारित कार्यक्रमानुसार आपके जिले की ऑनलाईन तथा निकट भविष्य में ऑनलाईन होने वाली तहसीलों के दो- दो रिसोर्स परसन (पटवारी/भू अ निरीक्षक) को व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु भिजवाए जाने बाबत संबंधित को पाबन्द करवाने का श्रम करावे।
- 3- अति. निदेशक इन्दिरा गांधी पंचायती राज संस्थान, जवाहर लाल नहरू मार्ग जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि प्रशिक्षण हेतु कम्प्यूटर लेब की उचित व्यवस्था के साथ ही प्रशिक्षणार्थियों के भोजन, चाय की व्यवस्था करवाने का श्रम करावे। साथ ही प्रशिक्षणार्थियों के भोजन, चाय की व्यवस्था के बिलों का भुगतान के लिए बिल CEO RBAAS जयपुर के नाम भिजवाने का श्रम करावे।
- 4- निजी सचिव, श्रीमान भू प्रबन्ध आयुक्त एवं निजी सहायक, श्रीमान अति. भूप्रबन्ध आयुक्त राजस्थान, जयपुर।
- 5- निजी सचिव, श्रीमान निबन्धक राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
- 6- तकनीकी निदेशक एवं राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी एनआईसी जयपुर को आवश्यक प्रशिक्षण देने हेतु।
- 7- प्रभारी, भू प्रबन्ध प्रशिक्षण, संस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रशिक्षण में निर्धारित समय पर उपस्थित होकर व्यवस्था करावे।
- 8- प्रभारी डीआईएलआरएमपी, मुख्य कार्यालय, को प्रेषित कर लेख है कि प्रशिक्षण की व्यवस्था करावे।
- 9- श्री शिवप्रकाश सोनी, गिरदावर, श्री राहुल मीना, सूचना सहायक, को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रशिक्षण में निर्धारित समय पर उपस्थित होकर व्यवस्था करावे।
- 10- प्रभारी डीआईएलआरएमपी को निर्देशित किया जाता है कि प्राप्त बिलों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी कराकर भुगतान आरबास के माध्यम से शीघ्र कराया जावे।
- 11- श्री सत्यनारायण अग्रवाल च.श्रे.कर्म. को जलपान की व्यवस्था में लगाया जाता है तथा इनके अवकाश काल में श्री अनतराम च.क्षे.कर्म. कार्य करेंगे।
- 12- प्रभारी संस्थापन शाखा/ प्रोग्रामर, भूप्रबन्ध विभाग, मुख्य कार्यालय को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
- 13- प्रभारी आरबास, जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त बिलों का भुगतान शीघ्र करावे।

सहायक भूप्रबन्ध अधिकारी,  
मुख्यावास, राजस्थान जयपुर।